

राजस्थान सरकार  
निदेशालय, कोष एवं लेखा, राजस्थान, जयपुर  
"वित्त भवन" जनपथ, जयपुर

(दूरभाष नं.:- 0141-2740837, फ़ैक्स 0141-2742309, ई मेल:- jacct.dta@rajasthan.gov.in)

क्रमांक : एफ.4(ई)(डी-11579/2013)/अलेसे-III/ 367

दिनांक :- 24-03-2021


**कार्यालय आदेश**

निम्नांकित कनिष्ठ लेखाकार को उनके आवेदन के अनुसरण में निम्न परीक्षा में सम्मिलित होने की स्वीकृति प्रदान की जाती है:-

| क्र.सं. | लिंक नं. | नाम क. लेखाकार<br>(श्री/श्रीमती/सुश्री) | नाम परीक्षा    | आयोजक संस्था | वर्तमान पदस्थापन कार्यालय                    |
|---------|----------|---|----------------|--------------|--|
| 1       | 2        | 3                                       | 4              | 5            | 6  |
| 1       | 11579    | देवराज गौड़                             | UGC (NET-2021) | NTA          | मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बाडमेर |

उक्त स्वीकृति राजस्थान सिविल सेवा (आचरण) नियम 1971 के प्रावधानों एवं नियुक्ति आदेश में वर्णित शर्तों के अतिरिक्त निम्न शर्तों के अध्यक्षीन होगी :-

- 1 शिक्षण संस्थान में अध्ययन का समय कार्यालय समय के समान ही हो तो उक्त स्वीकृति स्वतः समाप्त मानी जायेगी।
- 2 विभाग की पूर्वानुमति प्राप्त किये बिना अध्ययन जारी रखने एवं परीक्षा में सम्मिलित होने पर आपके विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावेगी।
- 3 परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति के अन्तर्गत परीक्षा दिवसों के अतिरिक्त अन्य कोई अवकाश स्वीकृत नहीं किया जावेगा।
- 4 उक्त स्वीकृति दिये जाने से किसी स्थान विशेष पर पदस्थापन निरन्तर रखने का अधिकार नहीं मिल सकेगा और उस दौरान अन्यत्र स्थानान्तरण किया जा सकता है।
- 5 उक्त स्वीकृति के कारण राजकीय कार्य सम्पादन में किसी प्रकार की बाधा/ब्यवधान उत्पन्न होने पर यह स्वीकृति समाप्त कर दी जायेगी।
- 6 परीक्षा की तैयारी हेतु किसी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जावेगा।
- 7 प्रशासनिक कारणों से उक्त स्वीकृति बिना किसी पूर्व सूचना के निरस्त की जा सकती है।

  
(सर्वेश कुमार तिवाड़ी)  
निदेशक

क्रमांक : एफ.4(ई)(डी-11579/2013)/अलेसे-III/ 367  
प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

दिनांक :- 24-3-2021

1. संबंधित विभाग/कार्यालय (तालिका के कॉलम 6 के अनुसार)।
2. निजी सचिव, निदेशक।
3. उपनिदेशक (एसीपी) को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।

  
(शिल्पी कौशिक)  
अतिरिक्त निदेशक कार्मिक-III